न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 2ए/2024 G.C.M.S. No. 2024/22 दर्ज दिनांक : 13.02.2024

अपीलार्थी

01. जमनाबाई पत्नी गणेशराम, जाति मेघवाल, निवासी धाण, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

01. जितेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल, जाति मेघवाल, निवासी चावण्डिया, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर, जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2023

पैरोकारः–

1. श्री उमाराम देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2023 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जितेन्द्र कुमार ने सहायक कलेक्टर रेवदर की अदालत में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बंटवाड़ करने कृषि आराजी हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर मातहत अदालत ने दिनांक 6/12/2023 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर अदालत ने तहसीलदार रेवदर से बंटवाड प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये एवं फाईनल डिक्री दिनांक 14.12.2023 को पारित की है। उक्त प्रकरण में मातहत न्यायालय ने दिनांक 3/11/2023 को पेशी नियत थी उस दिन श्रीमान मातहत न्यायालय में कोर्ट में नहीं बैठने के कारण कोर्ट की सभी पत्रावलियां दिनांक 3/11/2023 से 29/12/2023 को मुकर्रर की गई, लेकिन इस पत्रावली में दोनों पक्षों के मध्य यह सहमति हुई थी की प्रतिवादी ने दिनांक 6/12/2023 को एक प्रार्थना पत्र इस बाबत लिखकर दिया था कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि के पूर्वी हिस्से का भाग जो ग्राम धाण से लगता हुआ आया है को, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं पश्चिमी हिस्से को वादी के पक्ष में बंटवाड़ किए जाने में प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्णत सहमति है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर भी पूर्वी भाग पर ही कब्जा काश्त कायम है एवं रास्ता भी दिलवाना फरमावे। ऐसा प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मातहत न्यायालय में पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद मातहत न्यायालय ने बंटवाड़ विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार रेवदर को तहरीर भेजने के आदेश किए थे। मातहत न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक डिक्री पारित की है वो सहमति अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। मातहत न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलार्थी) द्वारा दिनांक 6/12/2023 को प्रार्थना पत्र के जरिये दी सहमति से परे जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14/12/2023 को पेश हुए उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल कारित की हैं, अपीलार्थी की भूमि दो भागो में विभाजित हो गई है।

यह की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अजनबी क्रेता है जिसका आज दिन तक कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा केवल कागजों में जमीन खरीदी है, मौके पर आज दिन तक ना तो उसका और नहीं उसके किसी प्रतिनिधि का कोई कब्जा रहा है। अपीलार्थी को सूचना दिए बिना ही मौका फर्द तैयार की गई जिसकी जानकारी मौका फर्द अवलोकन से स्पष्ट होती है अपीलार्थी का पुत्र मौके पर हाजिर होता तो मौके पर हस्ताक्षर अवश्य होते और यदि हस्ताक्षर करने से इन्कार करता तो हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का पृष्ठांकन अंकित होता, लेकिन ऐसा उक्त फर्द पर अंकित नहीं है मौका फर्द मौके पर गये बिना ही ऑफिस में ही बैठकर तैयार की गई है, क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है एवं अपीलार्थी का संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त कायम है। बंटवाड प्रस्ताव आपसी समझौता अनुसार तैयार करना बताया गया है लेकिन बंटवाड़ प्रस्ताव अपीलार्थी द्वारा दी हुई सहमति एवं समझौता से परे जाकर किया गया है। मातहत अदालत की कॉजलिस्ट का अवलोकन करने से साफ जाहिर है कि उक्त पत्रावली केवल समझौते के लिए ही श्रीमान मातहत न्यायालय ने 29/12/2023 से बदलकर 6/12/2023 को रखी लेकिन मातहत न्यायालय ने समझौते बिंदु से परे जाकर अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने के लिए एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बहुमूल्य कृषि भूमि देने के लिए बंटवाड़ प्रस्ताव पर कोई एतराज पेश करने का कोई अवसर दिए बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी करने में कानूनी भारी भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 14.12.2023 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2023 को बाई मिट्स एण्ड बाउड्स विभाजन के प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 14.12.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 04/2024 अनवान जमना बाई बनाम जितेन्द्र कुमार में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।

3. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका फर्द जो कि मौके पर तैयार की जाती है, पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं होकर संबधित पटवारी व भू. अ. नि. द्वारा हस्ताक्षरित है जबकि विभाजन प्रस्ताव के संबंध में यह आज्ञापक है कि विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए संबधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर खातेदारान को सूचित करते हुए मौके पर ही तैयार किया जाना चाहिए। जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव पाया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2022 बअनवान जितेन्द्र कुमार बनाम जमना बाई में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली